NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-11-2026

विषय सूची

सरकार ने रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को स्वीकृति

उच्चतम न्यायालय का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर के संबंध में निर्णय

बाल विवाह मुक्त भारत: वर्ष 2030 तक बाल विवाह-मुक्त भारत की दिशा में

सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण हेतु प्रारूप विनियम, 2026

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU)

संक्षिप्त समाचार

स्टैंड-अप इंडिया योजना

सरकार द्वारा लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध

INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण एवं पुनः शक्ति-संचालन हेतु अनुबंध

फारस की खाड़ी

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26

अभ्यास नसीम अल बह्र

युग युगीन भारत संग्रहालय

सरकार ने रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को स्वीकृति

संदर्भ

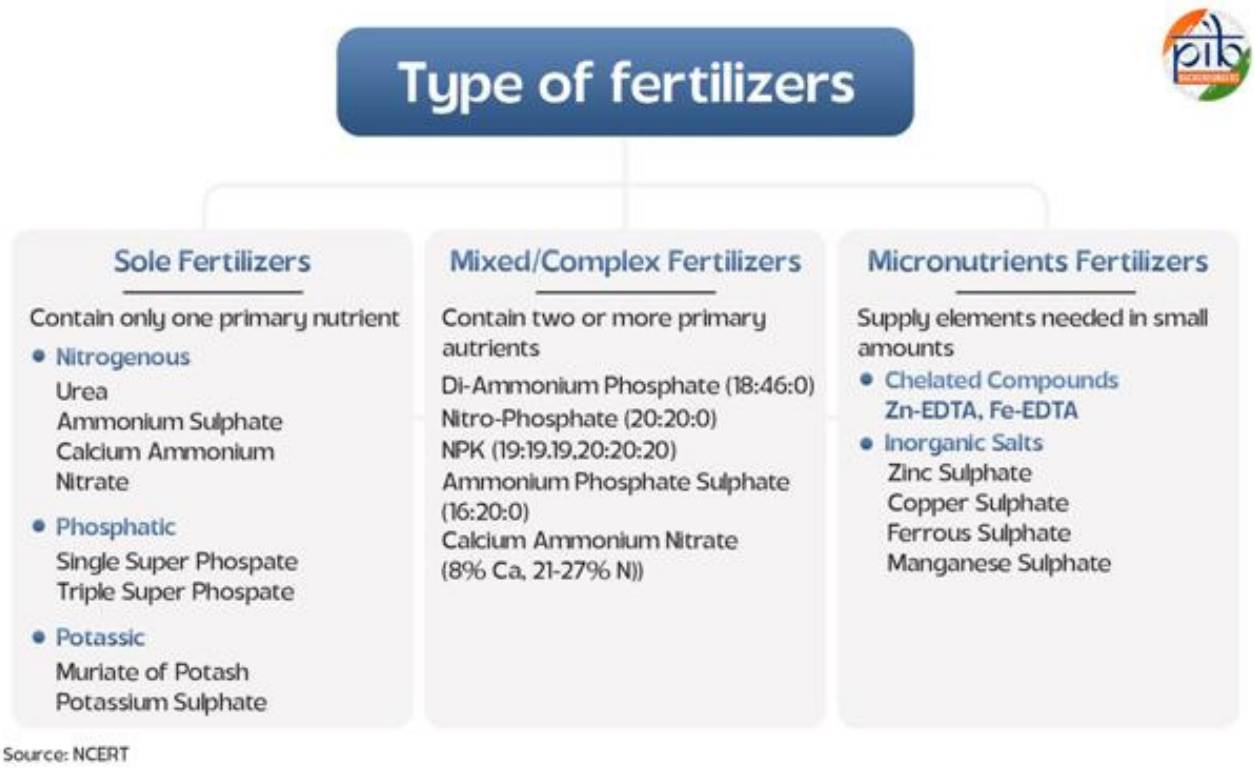
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026–27 सीजन के लिए उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को स्वीकृति दी है, जो विगत वर्ष के ₹37,952 करोड़ के आवंटन की तुलना में 64% अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- **दायरा :** यह सब्सिडी फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होती है, जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तथा NPKS श्रेणी के उर्वरक शामिल हैं।
- **लाभार्थी:** उर्वरक निर्माताओं एवं आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

उर्वरक क्या हैं?

- उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से निर्मित पौधों के लिए सघन पोषक तत्त्व होते हैं।
- जैविक खाद की तुलना में उर्वरकों में पोषक तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है तथा इनका उपयोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है।



Source: NCERT

उर्वरक सब्सिडी की कार्यप्रणाली

- **विक्रय मूल्य पर सब्सिडी :** सरकार उर्वरक निर्माताओं अथवा आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को विक्रय किए जाने वाले उर्वरकों की कीमत कम रखी जा सके।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** कुछ मामलों में सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- **निश्चित सब्सिडी दरें :** यूरिया के लिए प्रति किलोग्राम उत्पाद के आधार पर सब्सिडी निर्धारित होती है, जबकि DAP जैसे अन्य उर्वरकों के लिए बाजार मूल्यों के आधार पर समय-समय पर सब्सिडी दरों में संशोधन किया जाता है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

- **शुभारंभ:** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** किसानों को फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरक रियायती एवं किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **कार्यप्रणाली:** सरकार अधिसूचित उर्वरकों में वर्तमान प्रत्येक किलोग्राम पोषक तत्त्व (नाइट्रोजन – N, फॉस्फोरस – P,

पोटैशियम – K और सल्फर – S) के आधार पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।

- अंतरराष्ट्रीय कीमतों एवं उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत के आधार पर सब्सिडी दरों की समय-समय पर, सामान्यतः वर्ष में दो बार, समीक्षा की जाती है।
- उर्वरक कंपनियाँ P&K उर्वरकों का खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालाँकि इनकी कीमतों की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

- **दायरा :** इस योजना के अंतर्गत DAP, NPK तथा NPKS उर्वरकों सहित P&K उर्वरकों की 28 श्रेणियाँ शामिल हैं।

उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि के कारण

- **वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि:** अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) तथा सल्फर की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत की उर्वरक आयात लागत बढ़ गई है।
- **भू-राजनीतिक व्यवधान:** रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है और उत्पादन लागत में वृद्धि की है।
- **ऊर्जा लागत में वृद्धि:** यूरिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस (LNG सहित) एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। गैस की कीमतों में वृद्धि से घरेलू उर्वरक विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों, पोटाश तथा सल्फर जैसे प्रमुख उर्वरकों एवं कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। इससे घरेलू कृषि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित चुनौतियाँ

- **मृदा का क्षरण:** उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा दीर्घकाल में कृषि उत्पादकता में कमी आ सकती है।
- **राजकोषीय स्थिरता:** अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि से सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय बोझ बढ़ता है तथा बजटीय नियोजन में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- **रिसाव एवं अन्यत्र उपयोग:** कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए उर्वरकों का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है।

उर्वरक क्षेत्र में सरकार की पहलें

- **वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना :** इस योजना की शुरुआत उर्वरक क्षेत्र में ब्रांडिंग की एकरूपता लाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **पीएम-प्रणाम योजना :** पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, न्यूट्रिशन एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ योजना का उद्देश्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- **सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड):** इसे मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने तथा किसानों की कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **नैनो यूरिया :** यह इफको (IFFCO) द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक है, जिसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।

आगे की राह

- जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को पोषक तत्त्वों के संतुलित प्रबंधन की पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- मृदा स्वास्थ्य, फसलों की पोषक तत्त्व संबंधी आवश्यकताओं तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने से किसानों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- जैव उर्वरकों, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि जैसे वैकल्पिक एवं पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: MoneyControl

उच्चतम न्यायालय का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर के संबंध में निर्णय

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को दिए गए अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

- **क्रीमी लेयर की अवधारणा:** इसकी शुरुआत उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) निर्णय, जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य OBC वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना था।

- **1993 का कार्यालय ज्ञापन :** इसके अंतर्गत OBC की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय वेतन एवं कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था।
 - **2004 का स्पष्टीकरण:** इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन आय को क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
 - **कार्यान्वयन में देरी:** इस स्पष्टीकरण को वर्ष 2014 तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया तथा सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2015 (2016 बैच) से इसे कठोरता से लागू किया गया।
 - इसके परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 100 OBC अभ्यर्थियों के OBC दावों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा क्रीमी लेयर से संबंधित होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।
- **उच्चतम न्यायालय का 11 मार्च, 2026 का निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों को बरकरार रखा, जिनमें प्रभावित OBC अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया गया था।
 - न्यायालय ने केंद्र सरकार को पात्र अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समायोजित करने के लिए अधिसंख्यक पदों के सृजन का निर्देश दिया।
 - न्यायालय ने अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए छह माह का समय निर्धारित किया।

निर्णय का महत्त्व

- **आरक्षण के लाभों का संरक्षण:** यह निर्णय उन प्रभावित OBC अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है, जिनके दावों को क्रीमी लेयर संबंधी मानदंडों की व्याख्या के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
- **न्यायिक स्पष्टता:** यह निर्णय न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांत तथा याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई व्यक्तिगत राहत के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
- **प्रशासनिक स्थिरता:** यह पहले से पूर्ण हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों तथा वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पुनः खोलने से रोकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होता है।
- **संवैधानिक जवाबदेही:** यह संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को और सुदृढ़ करता है।
 - **अनुच्छेद 141:** इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।

भारत में आरक्षण

- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए क्रमशः 15%, 7.5% तथा 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
 - अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से की जाने वाली सीधी भर्ती में SCs, STs तथा OBCs के लिए क्रमशः 16.66%, 7.5% तथा 25.84% आरक्षण निर्धारित है।
- **संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019:** इसके माध्यम से राज्य (अर्थात् केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया।

50% का नियम क्या है?

- उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि लोक नियोजन अथवा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **मंडल आयोग मामला:** वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - ऐसी असाधारण परिस्थितियों में उन समुदायों को शामिल किया जा सकता है, जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा समाज की मुख्यधारा से बाहर रखे गए हैं। यह भौगोलिक आधार पर निर्धारित कसौटी नहीं, बल्कि सामाजिक आधार पर निर्धारित कसौटी है।
- **EWS संबंधी निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
 - इसका अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत 50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू होती है तथा राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% तक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति है।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16:** यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है। हालाँकि, अपवादस्वरूप राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- **अनुच्छेद 16(4A):** इसके अंतर्गत राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 335:** यह प्रावधान करता है कि राज्य की सेवाओं एवं पदों में नियुक्ति से संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय विशेष उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।
- **भारतीय संविधान का 103वाँ संशोधन:** इसके माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।

स्रोत: TH

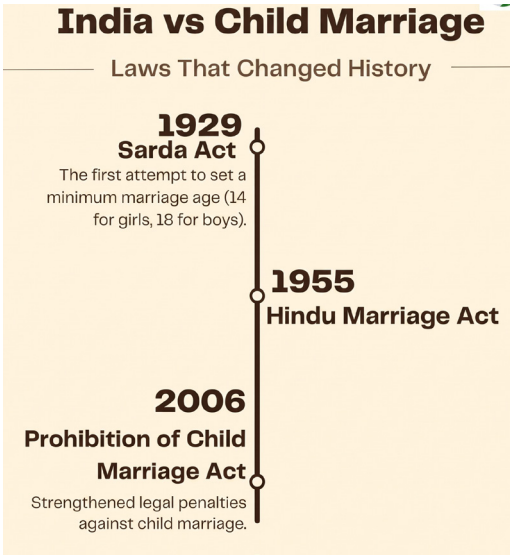
बाल विवाह मुक्त भारत: वर्ष 2030 तक बाल विवाह-मुक्त भारत की दिशा में

संदर्भ

- सरकार ने बताया है कि 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' का उद्देश्य वर्ष 2026 तक बाल विवाह की व्यापकता में 10% की कमी लाना तथा वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है।

बाल विवाह क्या है?

- बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है, जिसमें विवाह के पक्षकारों में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। यह प्रथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, लैंगिक असमानता तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के दुष्चक्र को बनाए रखती है।



- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ पुरुष द्वारा किया गया कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में आता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि जब बाल विवाह में पति अपनी नाबालिग पत्नी के साथ प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला करता है, तो यह गंभीर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति

- भारत में बाल विवाह की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आई है, लेकिन इसकी व्यापकता अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019–21 के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गया था, जबकि NFHS-4 (2015–16) में यह आँकड़ा 26.8% था।
- यह प्रथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण समुदायों में असमान रूप से अधिक प्रचलित है।
- राज्यों एवं एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बाल विवाह की व्यापकता में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है, जो क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- सरकार ने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत लक्षित कार्रवाई के लिए 257 उच्च भार वाले जिलों की पहचान की है।

बाल विवाह के कारण

- **गरीबी एवं आर्थिक असुरक्षा:** कुछ परिवार प्रारंभिक विवाह को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों एवं वित्तीय भार को कम करने का माध्यम मानते हैं।
- **लैंगिक भेदभाव:** पितृसत्तात्मक सोच के कारण प्रायः लड़कियों की शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता की तुलना में विवाह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
- **शिक्षा का अभाव:** विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, अपर्याप्त शैक्षणिक आधारभूत संरचना तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित पहुँच बाल विवाह के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएँ:** सामुदायिक दबाव, प्रथागत परंपराएँ तथा परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी चिंताएँ कम आयु में विवाह को प्रोत्साहित करती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** यौन उत्पीड़न का भय तथा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कथित असुरक्षा के कारण कुछ परिवार उनका विवाह कम आयु में कर देते हैं।

- **कानून का कमजोर प्रवर्तन:** जागरूकता की कमी, मामलों की कम रिपोर्टिंग तथा संस्थागत क्षमता का अपर्याप्त होना इस प्रथा को जारी रहने का अवसर प्रदान करता है।

प्रमुख कानून: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

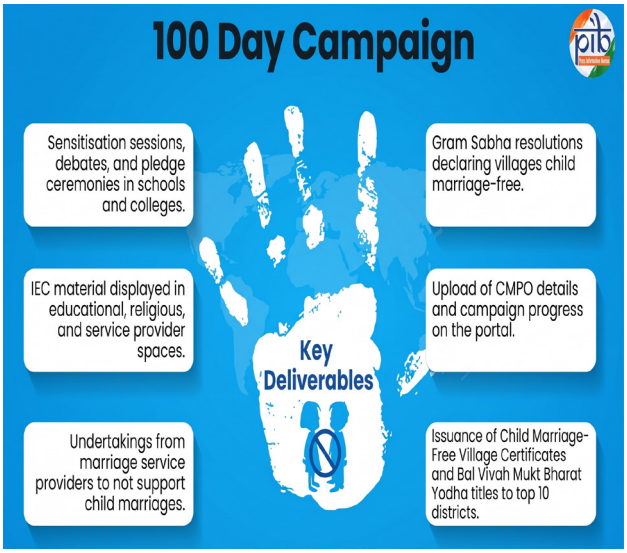
- यह अधिनियम बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रमुख कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
 - **धारा 3:** बाल विवाह सामान्यतः उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होते हैं, जो विवाह के समय नाबालिग था।
 - **धारा 12:** बल प्रयोग, धोखाधड़ी, बिक्री अथवा मानव तस्करी से संबंधित कुछ परिस्थितियों में किए गए विवाह शून्य होते हैं।
 - **धारा 13:** न्यायालय बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
 - **धारा 16:** बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
 - **धारा 9–11:** बालिका से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष तथा बाल विवाह संपन्न कराने, प्रोत्साहित करने अथवा इसकी अनुमति देने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती हैं।
- यह अधिनियम विवाह में शामिल महिला पक्षकार के लिए भरण-पोषण एवं निवास की व्यवस्था तथा ऐसे विवाहों से जन्मे बच्चों की वैधता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है।

न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रयास

- **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017):** उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवाद को 15–18 वर्ष आयु की पत्नियों के संदर्भ में सीमित करते हुए नाबालिग लड़कियों के संरक्षण को सुदृढ़ किया।
- **सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ (2024):** उच्चतम न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इनमें जागरूकता का प्रसार, संस्थागत समन्वय, अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा प्रभावी रोकथाम तंत्र विकसित करना शामिल है।

अन्य संबंधित पहलें

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP), 2015:** इस योजना का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को दूर करना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
 - यह योजना भेदभावपूर्ण सामाजिक मानसिकता को चुनौती देकर तथा बालिकाओं के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करके बाल विवाह के विरुद्ध प्रयासों को सुदृढ़ करती है।
- **बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (BVMB), 2024:** इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
 - पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों तथा स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
 - संवेदनशील जिलों की पहचान करना तथा समुदाय स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप करना।
 - बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
 - बालिकाओं की शिक्षा, जागरूकता तथा सामूहिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना।
 - **BVMB पोर्टल की प्रमुख उपलब्धियाँ:**
 - 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
 - 12.47 करोड़ लोगों तक पहुँच स्थापित की गई।
 - 42.01 लाख संकल्प (Pledges) दर्ज किए गए।
 - पोर्टल पर 71,882 बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) का विवरण उपलब्ध है, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर नामित 59,686 अधिकारी शामिल हैं।
- **100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान:** यह राष्ट्रीय उद्देश्यों को समुदाय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में परिवर्तित करने का एक गहन प्रयास है।
 - इस अभियान में जागरूकता का प्रसार, हितधारकों की भागीदारी, संवेदनशील बच्चों की पहचान तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा समयबद्ध हस्तक्षेप पर विशेष बल दिया जाता है।



आगे की राह

- वर्ष 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक एवं बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:
 - **शिक्षा:** विशेष रूप से बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
 - **आर्थिक सशक्तीकरण:** वंचित परिवारों के लिए कौशल विकास, आजीविका के अवसरों तथा वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए।
 - **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) की कार्यक्षमता, सुलभता तथा जवाबदेही में सुधार किया जाना चाहिए।
 - **सामुदायिक भागीदारी:** सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए माता-पिता, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों तथा पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
 - **प्रौद्योगिकी आधारित शासन :** डिजिटल रिपोर्टिंग, जिला-स्तरीय निगरानी तथा समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
 - **अभिसरण :** बाल विवाह की रोकथाम को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

स्रोत: DD News

सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण हेतु प्रारूप विनियम, 2026

संदर्भ

- राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) ने भारत में संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नई पंजीकरण व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

परिचय

- **उद्देश्य :** व्यावसायिक पंजीकरण की प्रक्रिया में अधिक एकरूपता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
 - इसके अतिरिक्त, निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र चिकित्सकों एवं पेशेवरों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं तथा कार्यकुशलताओं में वृद्धि करने के लिए सुव्यवस्थित अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।
- **प्रस्तावित विनियमों की प्रमुख विशेषताएँ:**
 - अनंतिम पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
 - विशिष्ट पहचान संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था।
 - अनंतिम पंजीकरण की वैधता, अवधि विस्तार, समाप्ति तथा अपील से संबंधित स्पष्ट प्रावधान।
 - कौशल संवर्धन, दक्षता मूल्यांकन तथा आवश्यकतानुसार अर्हता परीक्षाओं के लिए निर्धारित ब्रिज कोर्स का प्रावधान।
 - व्यावसायिक कौशल विकास के लिए पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण तथा संस्थागत आवश्यकताओं का निर्धारण।
 - निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन संबंधित केंद्रीय अथवा राज्य रजिस्टर में नियमित पंजीकरण की व्यवस्था।

राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP)

- NCAHP एक वैधानिक विनियामक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत की गई है।
- इसका उद्देश्य भारत में संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की शिक्षा तथा सेवाओं के मानकों का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवर कौन हैं?

- ये प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, जो रोगों के निदान, उपचार, पुनर्वास तथा रोगियों की देखभाल में चिकित्सकों को सहयोग प्रदान करते हैं।
- इनमें निम्नलिखित पेशेवर शामिल हैं:
 - फिजियोथेरेपिस्ट
 - व्यावसायिक चिकित्सक
 - चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्
 - रेडियोग्राफर
 - दृष्टि विशेषज्ञ
 - पोषण विशेषज्ञ

विनियमों का महत्त्व

- **मानकीकृत व्यवस्था :** NCAHP अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप पात्र संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण के लिए पारदर्शी एवं मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करना।
- **ब्रिज कोर्स :** इसके अंतर्गत अनंतिम रूप से पंजीकृत पात्र पेशेवरों को कौशल संवर्धन हेतु निर्धारित ब्रिज कोर्स करने, पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा न्यूनतम अर्हता परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

- **अधिक पारदर्शिता के लिए डिजिटल पंजीकरण:** आवेदन जमा करने, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, पात्रता के आकलन तथा अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली विकसित करना।

स्रोत: AIR

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।

परिचय

- यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराती है।
- CGFMU की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ऋण वितरण एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- यह निधि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं (LIs) को निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करती है:
 - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक प्रदान किए गए ऋण।
 - प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
 - स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनका ऋण पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है।
- **गारंटी शुल्क :** गारंटी शुल्क को 1% प्रतिवर्ष से घटाकर 0.75% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
 - स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए प्रथम वर्ष में 0.25% तथा आगामी वर्षों में 0.50% गारंटी शुल्क यथावत रहेगा।
- **अवधि :** यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू होगी।

महत्त्व

- **उद्यमिता को प्रोत्साहन:** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक गारंटी के प्रदान किए जाने वाले ऋणों ने ऐसे उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जो पहले औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
- **ऋण उपलब्धता में वृद्धि:** CGFMU योजना के विस्तार से आगामी पाँच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- **युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन:** यह योजना युवा एवं महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने, उसका विस्तार करने तथा उसे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

स्टैंड-अप इंडिया योजना

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को वर्ष 2031 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।

परिचय

- **उद्देश्य:** महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा पाँच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के अंतर्गत 2.75 लाख से अधिक महिला/SC/ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **पात्र ऋणकर्ता :** नए उद्यम अथवा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए महिला, SC तथा ST उद्यमी पात्र हैं।
- **वित्तीय सहायता की मात्रा :** ₹10 लाख से अधिक तथा ₹1 करोड़ तक की राशि के लिए ऋण निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रदान किया जा सकता है:

- समग्र ऋण , जिसमें कार्यशील पूँजी ऋण एवं सावधि ऋण शामिल हैं।
- सावधि ऋण।
- यह ऋण परियोजना लागत के अधिकतम 85% तक प्रदान किया जा सकता है।

- **पात्र क्षेत्र :** विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ।
- **ऋण गारंटी कवरेज :** ऋण राशि का 85%।
- **गारंटी शुल्क :** मानक गारंटी शुल्क 0.50% निर्धारित है।

स्रोत: PIB

सरकार द्वारा लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध

संदर्भ

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

परिचय

- इस वस्तु की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है।
- **ITC (HS) कोड 85491400:** इसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों तथा विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ उपयोग की जा चुकी सेल, बैटरियाँ एवं संचायक शामिल हैं।
 - निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य भारत में उत्पन्न ब्लैक मास का पुनर्चक्रण एवं परिष्करण देश के अंदर ही सुनिश्चित करना है।

ब्लैक मास

- ब्लैक मास एक पाउडरनुमा पदार्थ है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों तथा बैटरी विनिर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट को छोटे टुकड़ों में काटने से प्राप्त होता है।
 - इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल तथा मैंगनीज जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा मौजूद होती है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों का महत्त्व:** ये विद्युत गतिशीलता , उन्नत रसायन सेल बैटरियों , ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं।
 - भारत इन खनिजों में से कई के लिए अत्यंत सीमा तक आयात पर निर्भर है।
- बैटरी अपशिष्ट का पुनर्चक्रण इन संसाधनों की घरेलू आपूर्ति विकसित करने के सबसे तीव्र एवं सतत प्रकारों में से एक है।

स्रोत: PIB

INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण एवं पुनः शक्ति-संचालन हेतु अनुबंध

समाचार में

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण (Refit) एवं पुनः शक्ति-संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498 करोड़ का अनुबंध किया है।

INS बेतवा

- यह स्वदेश में निर्मित ब्रह्मपुत्र श्रेणी का दूसरा निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है तथा इसे वर्ष 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- इस युद्धपोत का वजन 3,600 टन तथा लंबाई 125 मीटर है। यह 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है।
- यह विभिन्न प्रकार की तोपों, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों, टॉरपीडो प्रक्षेपकों तथा समुद्री निगरानी सेंसरों से सुसज्जित है।

नवीनतम घटनाक्रम

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण एवं पुनः शक्ति-संचालन के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया है।
- इस समझौते के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र श्रेणी के इस फ्रिगेट में व्यापक परिवर्तन किए जाएंगे। इसके मौजूदा भाप आधारित प्रणोदन तंत्र को डीजल इंजन आधारित प्रणोदन तंत्र से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इस पुनर्नवीनीकरण प्रक्रिया में आधुनिकीकृत हथियार प्रणाली स्थापित करके युद्धपोत की युद्धक क्षमताओं को भी उन्नत किया जाएगा, जिससे इसकी परिचालन प्रभावशीलता में सुधार होगा।

महत्त्व

- इस परियोजना से भारत की स्वदेशी जहाज मरम्मत एवं रखरखाव क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है। विशेष रूप से जटिल प्रणोदन प्रणाली के उन्नयन तथा नौसैनिक प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण की क्षमता में वृद्धि होगी।

- यह पहल सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' एवं 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देगी।
- इसके अतिरिक्त, नौसैनिक जहाजों के रखरखाव एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को भी सुदृढ़ करेगी।

स्रोत: PIB

फारस की खाड़ी

समाचार में

- छह भारतीय नाविकों को ले जा रहे लाइबेरिया के ध्वज वाले एक कच्चे तेल के टैंकर पर फारस की खाड़ी से गुजरते समय एक प्रक्षेप्य से आक्रमण हुआ।

फारस की खाड़ी

- फारस की खाड़ी हिंद महासागर का एक उथला सीमांत समुद्र है, जो मध्य पूर्व में स्थित है। यह उत्तर-पूर्व में ईरान तथा दक्षिण-पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- इसकी सीमा आठ देशों से लगती है:
 - उत्तर एवं पूर्व में ईरान।
 - उत्तर-पश्चिम में इराक।
 - दक्षिण एवं पश्चिम में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन, सऊदी अरब तथा कुवैत।
- **भौगोलिक विस्तार:** इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 93,000 वर्ग मील (2,41,000 वर्ग किलोमीटर) है।
 - यह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 615 मील (990 किलोमीटर) तक विस्तृत है।
 - इसकी चौड़ाई लगभग 210 मील (340 किलोमीटर) से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट 35 मील (55 किलोमीटर) तक है।
 - होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से यह ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जुड़ती है।

स्रोत: ET

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26

संदर्भ

- भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण का आयोजन भी चिह्नित हुआ।

पुरस्कारों के बारे में

- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2016 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के अंतर्गत की गई थी। इसकी शुरुआत 73 शहरों से हुई थी।
- वर्ष 2025–26 के संस्करण में 10 क्षेत्रों के अंतर्गत 43 संकेतकों के आधार पर 4,751 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इनमें अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, दृश्य स्वच्छता, सफाई कर्मियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्र शामिल थे।

प्रमुख विशेषताएँ

- दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जबलपुर और लखनऊ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- अन्य जनसंख्या श्रेणियों में 3–10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 50,000–3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में देवास शीर्ष स्थान पर रहा।
- पूर्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने वाली 'सुपर स्वच्छ लीग' में नवी मुंबई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद सूरत और विजयवाड़ा का स्थान रहा।
- विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में स्वच्छता को मान्यता देने के लिए तीन नई श्रेणियाँ भी शुरू की गईं:
 - **सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर :** रीवा
 - **सबसे स्वच्छ तटीय शहर :** पुरी
 - **सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर :** रुद्रपुर
- एक अन्य नई पहल 'स्वच्छ शहर जोड़ी' के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को उन शहरों के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें सुधार की आवश्यकता है। इस श्रेणी में अहमदाबाद–साणंद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

स्रोत: PIB

अभ्यास नसीम अल बह्र

संदर्भ

- भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना ने अपने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'नसीम अल बह्र' (समुद्री समीर/वायु) के 15वें संस्करण का आयोजन किया।

अभ्यास के बारे में

- वर्ष 1993 में शुरू किए गए इस अभ्यास का आयोजन दो चरणों में किया गया: बंदरगाह चरण और समुद्री चरण।

- यह अभ्यास भारत सरकार के MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय समुद्री साझेदारों के साथ भारतीय नौसेना के सहयोग को सुदृढ़ करता है।

क्या आप जानते हैं?

- ओमान, भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ और इस क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है।
- ओमान प्रथम खाड़ी देश है, जिसके साथ भारत के तीनों रक्षा बलों की शाखाएँ संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं।
- **अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज :** यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।
- **अभ्यास अल नजाह :** यह दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।

स्रोत: AIR

युग युगीन भारत संग्रहालय

संदर्भ

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹3,230 करोड़ की अनुमानित कुल परियोजना लागत से युग युगीन भारत संग्रहालय (YYBM) के विकास को मंजूरी प्रदान की है।

परिचय

- **उद्देश्य:** एक ऐसे विशिष्ट सभ्यतागत संग्रहालय की स्थापना करना, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता को उसकी मूर्त एवं अमूर्त विरासत के एकीकृत प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करे।
- **अवस्थिति:** इस संग्रहालय का विकास नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का पुनः उपयोग करके किया जाएगा। इस दौरान उनकी स्थापत्य विशेषताओं को संरक्षित रखा जाएगा।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय :** संस्कृति मंत्रालय।
- **विशेषताएँ :** संग्रहालय में आधुनिक संग्रहालय पद्धतियों, इमर्सिव तकनीकों और आगंतुक-केंद्रित सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
- इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।

स्रोत: DD News

■■■